न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 45/2024

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 24/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के खाता स0 50/49 की कुल 3.5410 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा एवं खाता 52/51 की कुल 3.2750 हैक्ट भूमि में से 1/14 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 199/196 की कुल 0.9460 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

खाता स0 50/49 में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र हरदयाल एवं खाता स0 52/51 में प्रार्थी का नाम पप्पु पुत्र हरदयाल दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल है जो की प्रार्थी के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड एवं रोही मौजा देईदास के खाता स0 199/196 की भूमि में दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड अपना नाम प्रकाश व पप्पु के स्थान पर मुताबिक दस्तावेज ओमप्रकाश दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई की ओमप्रकश, प्रकाश व पप्पु तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है अ[illegible] व पप्पु के स्थान पर ओमप्रकाश नाम किया जाना उचित है। प्रार्थी के नाम संश[illegible] हरदयाल द्वारा शपथ पत्र पेश्ज्ञ किया गया एवं सरपंच ग्राम प[illegible]बध में तस्दीक पेश[illegible]ई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:38:37 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने ब[illegible] वकील प्रार्थी ने प्रार्थ[illegible] के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गाता स0 50/49 में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र हरदयाल एवं खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स0 52/51 में प्रार्थी का नाम पप्पु पुत्र हरदयाल दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल है जो की प्रार्थी के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड एवं रोही मौजा देईदास के खाता स0 199/196 की भूमि में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रकाश व पप्पु के स्थान पर मुताबिक दस्तावेज ओमप्रकाश दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के खाता स0 50/49 की कुल 3.5410 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा एवं खाता 52/51 की कुल 3.2750 हैक्ट भूमि में से 1/14 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 199/196 की कुल 0.9460 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थी अपना नाम प्रकाश व पप्पु दर्ज है के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपने नाम संशोधन बाबत शपथ पत्र पेश किया गया है एवं सरंपच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत तस्दीक तथा तहसीलदार द्वारा नाम संशोधन सही किया जाना उचित है की अभिशंषा की गई है। प्रार्थी का एक खाते में नाम ओमप्रकाश दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तहसीलदार रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के खाता स0 50/49 की कुल 3.5410 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि मे प्रार्थी का नाम **प्रकाश पुत्र हरदयाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल** एवं रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता 52/51 की कुल 3.2750 हैक्ट भूमि में से 1/14 हिस्सा भूमि प्रार्थी का नाम **पप्पु पुत्र हरदयाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल** का संशोधन किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उपरोक्तानुसार अमल दरामद हो। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के नाम प्रकाश व पप्पु के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रकाश व पप्ु के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम प्रकाश व पप्पु ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रंति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/9/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:38:37 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर/सशोधन/2023/947 दिनांक : 25/09/24
तहसीलदार,
नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 45/2024 अनवानी ओमप्रकाश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 45/2024
अनवान : —

1. ओम प्रकाश पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के खाता स0 50/49 की कुल 3.5410 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि मे प्रार्थी का नाम **प्रकाश पुत्र हरदयाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल** एवं रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता 52/51 की कुल 3.2750 हैक्ट भूमि में से 1/14 हिस्सा भूमि प्रार्थी का नाम **पप्पु पुत्र हरदयाल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल** का संशोधन किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उपरोक्तानुसार अमल दरामद हो। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के नाम प्रकाश व पप्पु के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रकाश व पपु के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम प्रकाश व पप्पु ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:38:37 IST
Reason: SelfAttested